

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्रमांक-एफ-1-106/31/एस-2/2023/1059
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 05/03/2024

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखंड-छुईखदान की त्रिशुल नाला (महानदी बेसिन) की सुरही जलाशय (महानदी बेसिन) लिंक नहर योजना का सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-2655/बो.प्र./प्रशा.स्वी./TS/मगोक/2023/7752, नवा रायपुर, दिनांक 22.08.2023.

—00—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-70/एफ-2017-31-01493/वि/नि/चार, नवा रायपुर दिनांक 24.02.2018 द्वारा जारी वित्त निर्देश 07/2018 में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका-1995, भाग-2 के अनुक्रमांक-79 (i) में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखंड-छुईखदान की त्रिशुल नाला (महानदी बेसिन) की सुरही जलाशय (महानदी बेसिन) लिंक नहर योजना का सर्वेक्षण कार्य लागत राशि रु. 228.39 लाख (रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख उनचालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता करता है।

- कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जावे।
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
- योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य, लेखा शीर्ष-4702, लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-राज्य आयोजना (सामान्य), (4416)-सर्वेक्षण, #06-सर्वेक्षण के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- सर्वेक्षण कार्य शासन के पत्र क्र.-2421/एफ-7-15/31/एस-2/2014, दिनांक 30.05.2023 से सूचीबद्ध संस्थानों के माध्यम से ही कराया जाये।
- सर्वेक्षण कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
- सर्वेक्षण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
- संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता सर्वेक्षण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


05/03/24

(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


 Joint Secretary
 छत्तीसगढ़ शासन
 जल संसाधन विभाग